बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ।

पत्र संख्या:-डीजी-परिपत्र-11 /2012 सेवा में.

दिनांक:लखनऊ:फरवरी

 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।

2.समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ०प्र०।

विषय: रिट पिटीशन संख्या-276(एच/सी)/2011 संजय बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनोंक 08.07.2011 के अनुपालन के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक रिट याचिका में मा० ठच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक: 08.07.2011 का अवलोकन करें, जिसमें भा० उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किए गए है:-

During the course of hearing we have the advantage of the presence of learned Advocate General who, from the record, pointed out to the Court that even in the bail application it was not mentioned that the offences are bailable. Since the alleged detenue has already been released and that the local police as well as district judiciary has realized the mistake committed in the police station as well as in court, by lodging a young boy of 22 years in judicial custody for about one month in the first criminal case against him for committing a bailable offence, with a note of caution to all concerned we close the matter with direction that in all such cases where the offences are bailable and the accused are young having no criminal history, the police and the courts shall immediately release them on personal bonds or other bonds, as readily available, to their satisfaction.

- माठ उच्च न्यायालय ने अपने उपर्युक्त आदेश में पुलिस एवं संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया है कि यदि कोई युवा अभियुक्त जमानतीय अपराधों (bailable offence) में गिरफ्तार किया जाता है तो, यदि उसका पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास न रहा हो तो, उसे उसके निजी अथवा अन्य बन्ध पत्र, जो भी उपलब्ध हो, से संतुष्ट होने पर तुरन्त रिहा कर दिया जाए।
- अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उकत आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेशा

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ०प्र०लखनऊ।

2.अपर पुलिस महानिदेशक, सीठबीठसीठआईठडीठ/रेलवे/ईठओठडब्लूठ/एठटीठएसठ/एसठआईठटीठ ट०प्र० । ★.सचिव, गृह(पुलिस)अनुभाग-4 20प्र0शासन लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपवा सूचनार्थ प्रेषित।